



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237166
CG-DL-E-07072022-237166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2963]
No. 2963]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ. 3113(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 49 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
49	16	पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता के निकट रारा-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खड़गपुर, ओडिशा राज्य में बालेश्वर और भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश राज्य में आनंदपुरम, पेंदुर्थी, अनकापल्ली (आनंदपुरम - विशाखापट्टनम सिटी - अगनमपुडी - अंकापल्ली सहित), राजामुंद्री, देवरापल्ली, गोंडूगोलानू, विजयवाड़ा, नोल्लोर को जोड़ने वाला और तमिलनाडु राज्य में चेन्नै के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एनएच-14012/7/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2917(अ), दिनांकित 28 जून, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

S.O. 3113(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 49 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
49	16	The highway starting from its junction with NH-19 near Kolkata connecting Kharagpur in the State of West Bengal, Baleshwar and Bhubaneswar in the State of Orissa, Anandapuram, Pendurthi, Anakapalli (including Anandapuram- Vishakapatnam City- Aganampudi- Anakapalli), Rajahmundry, Deverapalli, Gondugolanu, Vijayawada, Nellore in the State of Andhra Pradesh and terminating at its junction with NH-48 near Chennai in the State of Tamil Nadu.

[F. No. NH-14012/7/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2917(E), dated 28th June, 2022.